सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 8 राँची, गुरुवार, 1 पौष, 1938 (श०) / 22 दिसम्बर, 2016 (ई०)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

6 दिसम्बर, 2016

संख्या-04/आ०-02-1004/2016-338/5541-- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर अंतर्गत क्रियान्वित स्वजलधारा योजना के संचालन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप का स्वतः संज्ञान लोकायुक्त झारखण्ड, राँची द्वारा लिया गया एवं मामले की जाँचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह द्वारा कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-02, मधुपुर के पद पर पदस्थापन के दौरान स्वजलधारा योजना के मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर योजना के संचालन में अभिरूची नही लेते हुए योजना के तकनीकी पहलुओं पर उचित सहयोग उपलब्ध नही कराने एवं उनके असहयोगात्मक रवैये के परिणामस्वरूप योजना हेतु गलत स्थल का चयन किये जाने के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनका पक्ष प्राप्त कर माननीय लोकायुक्त द्वारा विभिन्न तिथियो को सुनवाई की कार्रवाई की गयी । सभी पक्षों की सुनवाई के उपरांत माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 को पारित आदेश में श्री सिंह सहित अन्य दोषी विभागीय अभियन्ताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा विभाग से की गयी । उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1033 दिनंक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री सिंह एवं अन्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी परन्तु जाँच संचालन पदाधिकारी के बीच में ही सेवानिवृत्त हो जाने के

कारण विभागीय कार्यवाही पूरी नही हो सकी । इसी बीच एतद् सादृश्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा WP(C) No. 567/2014 में आरोपी अभियन्ताओं के विरूद्ध पुनः प्रपत्र-क गठित करते हुए नये सिर¢ से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश पारित किया गया ।

2. लोकायुक्त झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश पर सम्यक समीक्षा विभाग स्तर पर सुसंगत नियमों के तहत की गयी एवं श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता,पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-02, मधुपुर सम्प्रति प्राक्कलक, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, राँची के विरूद्ध स्वजलधारा योजना के संचालन में विभागीय निर्देश की अवहेलना, पदीय कर्तव्य के विरूद्ध कार्य करना, संबंधित योजनाओं के मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर योजना के संचालन में अभिरूची नही लेने एवं योजना के तकनीकी पहलुओं पर उचित सहयोग उपलब्ध नही कराने एवं उनके असहयोगात्मक रवैये के परिणामस्वरूप योजना हेतु गलत स्थल का चयन किये जाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है ।

3. उक्त वर्णित लिये गये निर्णय के आलोक में श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता,पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा-02, मधुपुर सम्प्रति प्राक्कलक के विरूद्ध सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है ।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इन्द्रदेव मंडल संयुक्त सचिव,पेयजल एंव स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री शिव किशोर मिश्रा, अवर सचिव,पेयजल एंव स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगें ।

6. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव-बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 8--50